(a) whether there is any proposal under Government's consideration to replace the Law Commission by an Expert Committee on judicial reforms; and

(b) if so, by when?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHIV SHANKAR): (a) and (b) There is no proposal at present under the consideration of the Government to replace the Law Commission by any other body. However, the question of appointing a Special Committee to examine the working of the justice system in all its aspects is being considered.

न्यायपालिका के कार्य में सुधार

325. **श्री हरीशंकर भामड़ा :**
श्री सुन्दर सिंह भण्डारी :
श्री जगदीश प्रसाद माथुर :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार न्यायिक प्रणाली में सुधार करने के लिए एक तीन सदस्यीय समिति का गठन करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार उन विचाराधीन मुकदमों को निपटाने के लिए कोई अन्तरिम कार्यवाही करने का विचार रखती है, जो उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय में बड़ी संख्या में इकट्ठे हो गये हैं, यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

†[**Judicial reforms**

†325. SHRI HARI SHANKAR BHABHRA:
SHRI SUNDER SINGH BHANDARI:

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR:

Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government propose to set up a three-member Committee for reforming the judicial system;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) whether Government contemplate any interim action for the disposal of pending cases which are piling up in the High Courts and the Supreme Court; if so, what are the details in this regard?]

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शिव शंकर): (क) और (ख) न्यायिक सुधारों के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक समिति के गठन का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(ग) इस बीच, उच्च न्यायालयों में बकाया मामलों के विषय में विधि आयोग की 79वीं रिपोर्ट (जिसकी एक प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है) में की गई सिफारिशों की समीक्षा की जा रही है। उच्चतम न्यायालय में मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए हाल में किए गए कुछ उपायों का वर्णन संलग्न विवरण में किया गया है।

विवरण

मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(1) उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) अधिनियम, 1956 का संशोधन करके 31 दिसम्बर, 1977 से उच्चतम न्यायालय के लिए न्यायाधीशों की मंजूरी की गई संख्या को 13 से बढ़ा कर 17 (जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधिपति का पद सम्मिलित नहीं है) कर दी गई है।

†[ ]English translation.

(2) उच्चतम न्यायालय नियमों का संशोधन करके चेम्बर में रजिस्ट्रार और न्यायाधीशों को अधिक शक्तियां प्रदान की गई है जिससे कि न्यायालय का समय छोटे प्रकीर्ण मामलों में नष्ट न हो । शीघ्रता सुनिश्चित करने के लिए नियमों में अन्य संशोधन भी किए गए है ।

(3) उच्चतम न्यायालय ने सूचना दी है कि :—

(क) उच्चतम न्यायालय द्वारा ऐसे मामलों को जिनमें एक समान प्रश्न अन्तर्वलित है, एक ग्रुप में रखा जा रहा है जिससे कि एक ही निर्णय में उस पूरे ग्रुप के मामलों का निपटारा हो जाए ।

(ख) भारत के मुख्य न्यायाधिपति लम्बित मामलों की अन्तिम सूची का सदा पुनर्विलोकन करते रहते है और पुराने और लम्बित मामलो को निपटाने के लिए विशेष न्यायपीठों का गठन किया जाता है ।

(ग) उच्चतम न्यायालय नियमों को 1966 में पुनरीक्षित किया गया था और अपीलों के अभिलेखों के मुद्रण का कार्य जो पहले उच्च न्यायालयों द्वारा किया जाता था; अब, मामलों को शीघ्र निपटाने की दृष्टि से रजिस्ट्री ने ले लिया है । अनेक मामलों में न्यायालय अपील अभिलेखों का मुद्रण नहीं करता है और विशेष इजाजत पेपर-बुक पर अपीलों की सुनवाई का निदेश देता है तथा अत्यावश्यक मामलों में वह अपीलों की शीघ्र सुनवाई के लिए तारीख नियत करता है ।

(घ) सोमवार को प्रकीर्ण मामलों को निपटाने के लिए सात न्यायपीठें बैठती है और अन्य दिन सभी न्यायालय प्रकीर्ण मामले तथा नियमित मामले लेते है । नियमित मामलों की सुनवाई करने वाली न्यायपीठों की संख्या भी बढ़ा दी गई है ।

†[THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHIV SHANKAR): (a) and (b) A proposal to set up a Committee to go into the question of Judical Reforms is under the consideration of Government.

(c) In the meantime the recommendations made by the Law Commission in its 79th Report (a copy of which has been laid on the Table of the House) regarding arrears in High Courts are being examined. Certain measures taken in the recent past for expediting cases in the Supreme Court are listed in the statement attached.

Satement

The following measures for expediting cases have been taken:—

(i) The Judge strength sanctioned for the Supreme Court has been raised from 13 to 17 (excluding the Chief Justice of India) with effect from the 31st December, 1977 by amending the Supreme Court (Number of Judges) Act, 1956.

(ii) The Supreme Court Rules have been amended to vest more powers in the Registrar and Judges in Chambers so that the time of the court is not wasted in petty miscellaneous matters. Other amendments have also been made in the Rules for ensuring expedition.

(iii) The Supreme Court have intimated that—

(a) cases involving a common question are being grouped together by the Supreme Court so that with one judgment the whole group is disposed of.

(b) the final list of pending matters is always under review of the Hon'ble Chief Justice of India and special Benches are constituted to dispose of old and pending matters.

(c) the Supreme Court Rules were revised in 1966 and the job of printing of appeal records which was being done previously by the

†[ ]English translation.

High Courts, was taken over by the Registry with a view to speedy disposal of cases. In several matters, the court dispenses with the printing of appeal record and directs hearing of appeals on Special Leave Paper Books, and in urgent matters fixes a date for an early hearing of the appeals.

(d) 7 Benches sit to dispose of miscellaneous matters on Mondays and on other days all the Courts take up miscellaneous matters as well as regular matters. The number of Benches to hear regular matters has also been increased.]

बिजली पैदा करने वाले केन्द्र

326. **श्री हरी शंकर भाभड़ा :**
श्री सुन्दर सिंह भण्डारी :
श्री जगदीश प्रसाद माथुर :

क्या **ऊर्जा, सिंचाई और कोयला** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा संचालित तापीय बिजली घरों तथा डीजल, परमाणु और जल-विद्युत् उत्पादन केन्द्रों के नाम क्या है;

(ख) इनमें से प्रत्येक बिजली घर में बिजली पैदा करने की स्थापित क्षमता और वास्तविक बिजली पैदा किये जाने का अनुपात क्या है; और

(ग) उन बिजली घरों में कम बिजली बनाये जाने के क्या कारण है जो अपनी स्थापित क्षमता से 50 प्रतिशत से कम बिजली उत्पन्न कर रहे हैं और उनकी कार्यकुशलता को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†[**Power Generating Stations**

326 SHRI HARI SHANKAR BHABHRA:
SHRI SUNDER SINGH BHANDARI:
SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR:

Will the Minister of ENERGY, IRRIGATION AND COAL be pleased to state:

(a) the names of the thermal power stations and the diesel, atomic and hydro-electric power generating centres run by Government;

(b) the installed power generation capacity and percentage of actual power generation in each of these power stations; and

(c) the reasons for low power generation in respect of those power stations which are generating less than fifty per cent of their installed capacity and the action being taken to improve their efficiency?]

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनीखान चौधरी) : (क) से (ग) देश में सरकारी/राज्य बिजली बोर्डों के स्वामित्व के तापविद्युत्, गैस-डीजल और परमाणु विद्युत् केन्द्रों की एक सूची, उनकी विद्युत् उत्पादन क्षमता, अप्रैल, 1979 से जनवरी, 1980 के दौरान उनका उत्पादन और क्षमता समुपयोजन तथा जो विद्युत् केन्द्र अपनी क्षमता से 50 प्रतिशत से भी कम विद्युत् का उत्पादन कर रहे है उन विद्युत् केन्द्रों में विद्युत् उत्पादन कम होने के कारण संलग्न विवरण [उपाबन्ध एक] में दिए गए है। [**देखिये** परिशिष्ट Cxiii अनुषंग संख्या 22] मौजूदा विद्युत् सयन्त्रों के क्षमता समुपयोजन में सुधार करने के लिए कई उपाय किए गए हैं और किए जा रहे हैं। इन उपायों में ये शामिल है :—

(1) नई चालू की गई ताप-विद्युत् उत्पादन यूनिटों को शीघ्र सुस्थिर करने के लिए संयुक्त प्रयास करना;

(2) डिजाइन, उपस्कर आदि में कमियों का पता लगाना और परियोजना को शीघ्र पूरा करना, कई ताप विद्युत् केन्द्रों

†[ ] English translation